



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 माघ, 1946 (श०)

संख्या - 63 राँची, मंगलवार,

21 जनवरी, 2025 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2024

संख्या-13/पी₂-103/2019-7264/सी०,--पुलिस उप-महानिरीक्षक कोटि में रिक्ति के अनुपलब्धता के कारण, प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि पूर्ण करने के उपरांत भी भा०पु०से० के झारखण्ड संवर्ग के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक कोटि में पदस्थापित पदाधिकारी श्री अम्बर लकड़ा, भा०पु०से०(2011) के पुलिस उप-महानिरीक्षक कोटि में प्रोन्नति में उत्पन्न Stagnation को ध्यान में रखते हुए सम्यक विचारोपरांत पुलिस अधीक्षक कोटि के संवर्गीय पद पुलिस अधीक्षक संगठित अपराध, सी०आई०डी०, झारखण्ड, राँची को Abeyance में रखते हुए IPS (Cadre) Rules, 1954 के नियम-4(2) में निहित प्रावधान के आलोक में भारतीय पुलिस सेवा के झारखण्ड संवर्ग के अन्तर्गत पुलिस उप-महानिरीक्षक कोटि में पुलिस उप-महानिरीक्षक, संगठित अपराध, सी०आई०डी०, झारखण्ड, राँची के पद को अतिरिक्त अस्थायी संवर्गीय पद के रूप में सृजित किया जाता है।

उक्त नव सृजित अस्थायी संवर्गीय पद के विरुद्ध प्रोन्नत होने वाले पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा पुलिस उप-महानिरीक्षक कोटि में रिक्ति सम्पुष्टि होने की तिथि अथवा दो वर्ष, जो भी पहले हो, यह नव सृजित अस्थायी संवर्गीय पद स्वतः समाप्त समझा जाएगा तथा उक्त अवधि तक पुलिस अधीक्षक, संगठित अपराध, सी०आई०डी०, झारखण्ड, राँची का पद Abeyance में रहेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।
